

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

संख्या-२१-५५०८-।।।(२),

स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी के अध्यावेदन के आधार पर निम्नांकित चिकित्सकों के नाम के समक्ष स्तम्भ- 5 में अंकित जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन जिला	नव पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5
1	डा० रविन्द्र नाथ सिंह	Bhojpur	मुंगेर	पटना
2	डा० सुरेन्द्र प्रसाद कुमार	Bhagalpur	मुंगेर	पूर्णिया
3	डा० निर्मला कुमारी गुप्ता	W. Champanar	मुंगेर	पटना
4	डा० विजयेन्द्र सत्यार्थी	Bhagalpur	मुंगेर	जमुई
5	डा० बद्री प्रसाद	Gaya	मुंगेर	नवादा
6	डा० अरुण कुमार सिन्हा	Saran	मुंगेर	भागलपुर
7	डा० विजय कुमार मंडल	Banka	मुंगेर	भागलपुर
8	डा० मनोज कुमार चौधरी	Banka	मुंगेर	भागलपुर
9	डा० मो० मसूद आलम	Nalanda	मुंगेर	नवादा
10	डा० पूनम सिन्हा		मुंगेर	प० चम्पारण
11	डा० चन्द्र शेखर चौधरी	Bhagalpur	मुंगेर	पटना
12	डा० जय प्रकाश अग्रवाल	Begusarai	मुंगेर	खगड़िया

ग्रेड

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं जिले को सौंपी गयी हैं उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी।
3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे। तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे। अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे।
4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे।
6. चूंकि इनका पदस्थापन अभ्यावेदन के आधार पर हो रहा है इसलिए यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
7. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
 (प्रमोद कुमार)
 सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 2/टी- ५५ | २००४ - १११ (२) पटना, दिनांक ३०-६-०८
 प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि - सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि - महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि - मंत्री,, स्वास्थ्य विभाग के आप सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशास्त्र पदाधिकारी 2,3 एवं 9/ कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव